

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 534 / 15-1 दिनांक, झांसी, जुलाई, २९ 2017

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्रो, झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:-

Diversion of 0.2886 ha of forest land with felling of 22 trees (0.1144 ha protected forest in Forest Division Orai with felling of 14 trees and 0.1742 ha of protected forest in Forest Division Jhansi with felling of 08 trees) for construction of 765 kv D/C LILO Satna Gwalior transmission line by Power Grid Corporation of India Limited-reg.

संदर्भ:- आपका पत्रांक—53 / 33-1, दिनांक 05.07.2017 एवं मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड का०लि०, झांसी का पत्रांक WR-11/TLC/JHS/JLB/Orai/346, दिनांक 26.07.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), उ0प्रो लखनऊ के पत्रांक—8B/UP/04/29/2017/FC/61, दि० 28.06.17 से लगाई गयी आपत्तियों क्रमांक 1 से 7 तक इंगित कर्मियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्ण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल में तीन प्रतियों में प्रेषित हैः—

क्र० सं०	प्रश्न/आपत्ति	उत्तर/निराकरण के पश्चात अभिलेख भी संलग्न है
1	The details of area calculation uploaded as additional document in part I is not based on approved Row 765 kv S/C of 64 mts width. This issue need clarification and rectification.	उक्त ट्रान्समिसन लाइन 765 के०वी० डबल सर्किट है जिसका अनुमोदित ROW टावर स्पोरिंग डाटा के अनुसार 64 मी० के स्थान पर 67 मी० है की प्रति संलग्न है (संलग्न—161 से 162) ।
2	Uploaded Gazette notification of forest land have not been certified by the concerned DFO	संरक्षित वनभूमि का प्र०व०अ०, झांसी द्वारा प्रमाणित गजट नोटिफिकेशन संलग्न है
3	Joint inspection report of Forest Division Orai show existence of 63 trees whereas enumeration list in part II shows 14 trees only.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
4	(a) The site inspection report of DFO Orai does not clarify issues regarding violation of FCA 1980.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
	(b) The site inspection report of DFO Jhansi does not specify legal status of forest land proposed for diversion.	साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट सही कर औन लाइन अपलोड कर दी गयी है ।
5	NOC from NHAI/SPWD (owners of the land) for proposed forest land for diversion for Forest Division, Jhansi and Orai have not been provided with the proposal.	प्रस्ताव में अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में पावर ग्रिड का प्रमाण पत्र संलग्न है (पृष्ठ सं० 163)
6	The certificate regarding "Van Swaroop" forest land for Forest Division Orai has not been provided with the proposal.	उरई वन प्रभाग से सम्बन्धित है
7	The proposal has been submitted without submission of abstract of enumeration of trees & poles existing on forest land and abstract of enumeration of trees & poles required for felling.	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों के पातन एवं पोल सम्बन्धी गणना का विवरण संलग्न है (पृष्ठ सं० 164)

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डॉ मनोज कुमार शुक्ला)

प्रभागीय वनाधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 534 /अ/समदिनांक

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्रो लखनऊ का पत्रांक—2767 / 11सी—FP/UP/Trans/22022/2016 लखनऊ, दिनांक 30.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्रो, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, लि० हाउस नं० 13 बालीजी ग्रीन कालौनी फिल्टर मैन रोड बाहर दतिया गेट, झांसी (पिन कोड 284003) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

o/c

(डॉ मनोज कुमार शुक्ला)

प्रभागीय वनाधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी